

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 46  
विषय:-

/चारा/3-डी-64/श0चा0/2014-15, दिनोंक 03 मार्च, 2016  
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में चारा दाना विकास योजनान्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी  
काटने की मशीन उपलब्ध कराया जाना (50प्रतिशत केन्द्र/50प्रतिशत लाभार्थी अंश)  
योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-11/2016/466/सैंतीस-2-2016-1(22)/2014, दिनोंक 25 फरवरी 2016 को वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है, जिसका आवंटन इस कार्यालय के पत्र संख्या-576/बजट/29(5)/अनु0-15/31/2015-16, दिनोंक 29.02.2016 से किया गया है। प्रश्नगत योजना में निम्न निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए आवंटित धनराशि का व्यय एवं उपयोग करना सुनिश्चित करें:-

- 1- योजना में शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का मूल्य रु0-20000/-निधारित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को मशीन का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु0-10000/-जो भी कम होगा, अनुदान दिया जायेगा। शेष मूल्य लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 2- लाभार्थी को अनुदान की धनराशि नगद नहीं दी जायेगी। बल्कि बैंक खाते के माध्यम से भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना का लाभ लाभार्थी को एक ही बार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3- जनपद के ऐसे पशुपालक का चयन लाभार्थी के रूप में किया जायेगा, जो कम से कम 05 बड़े दुधारु पशु पालता हो।
- 4- योजनान्तर्गत लघु/सीमांत पशुपालकों का ही चयन किया जायेगा।
- 5- प्रदेश में अल्पसंख्यकों को शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत निर्धारित आरक्षण के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों का चयन किया जाय।
- 6- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा, जिसका पर्यवेक्षण मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि करेंगे तथा प्राप्ति रसीद (दिनोंक व समय सहित) आवेदक को प्राप्त करायेंगे।
- 7- लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला कृषि अधिकारी सदस्य एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदस्य/सचिव होंगे, के माध्यम से किया जायेगा। यथा सम्भव प्रत्येक विकास खण्ड का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।
- 8- योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से प्रदेश में 628 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाना है। अतः प्रत्येक जनपद हेतु जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण इस कार्यालय के आवंटन पत्र संख्या-576/बजट/29(5)/अनु0-15/31/2015-16, दिनोंक 29.02.2016 में परिशिष्ट 'क' के कालम-3 में उल्लेख किया गया है।
- 9- मशीनों का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं ही किया जायेगा। मशीन क्रय करने में संबंधित फर्म को सम्पूर्ण भुगतान प्रथमतः लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
- 10- लाभार्थी द्वारा क्रय की गयी मशीन का बिल-बाउचर्स स्वयं सत्यापित कर अनुदान प्राप्त करने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद (दिनोंक समय सहित) लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11- मशीनों का क्रय सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों से ही किया जायेगा। क्रय की जाने वाली मशीनों का गुणवत्ता एवं मानक निम्न होंगे:-

“कास्ट आयरन हेतु कम्पलीट तीन रोलर के साथ, आयल टैंक सहित, वी बेल्ट, 790एमएम की कास्ट आयरन व्हील, कार्बन स्टील ब्लेट नट वोल्ट सहित, जीपी शीट का परनाला, स्टैण्ड एमएस, इग्गल 55X55X2.5एमएम एवं एमएस इग्गल 30X30X2एमएम, 02 हार्स पावर मोटर, सींगल फेस और डबल फेस, वजन लगभग 140 किग्रा, 02 प्रतिशत वजन प्लस/माइनस हो सकता है।”

- 12- बिल-बाउचर्स प्राप्त होने तथा स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् तत्काल लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदान की धनराशि उल्लिखित निर्देशानुसार भेज दी जाये तथा लाभार्थी को लिखित रूप से भी अवगत कराया जायेगा।
- 13- मशीनों के क्रय मूल्य में एक रुपता होनी चाहिए, भिन्नता की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 14- लाभार्थी की सूची संलग्न प्रारूप पर बिल-बाउचर्स की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।
- 15- आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 16- शासन के पत्र संख्या-8/2016/3090/सैंतीस-2-2015-1(22)/2014, दिनांक 19 फरवरी 2016 जो कि इस कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-35/प-2/3डी/60/श0चा0/चारा/2015-16, दिनांक 19 फरवरी, 2016 से आपको पृष्ठांकित है, अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

**संलग्नकः--यथोपरि।**

**भवदीय**

(डा०राजेश बाबू वाष्णीय),  
निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।  
तदुद्दिनांक।

पत्रांक / चारा/3-डी-64/श0चा0/2014-15,

- 1- प्रतिलिपि समस्त अपर निदेशक ग्रेड-11, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से उक्त वर्णित निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रतिलिपि समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा०राजेश बाबू वाष्णीय),  
निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास।